महामहिम राज्यपाल

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह

का अभिभाषण

शनिवार, 3 जनवरी, 2009

माननीय सदस्यगण,

1. तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह अति प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही राज्य में विधान सभा के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं, नव निर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूँ और अभिनन्दन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वे राजस्थान के विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। मैं माननीय सदस्यों और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नये वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।

2. मैं अपना वक्तव्य वैदिक ऋषि की इस शुभाकांक्षा के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा -

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।।

(ऋगवेद 10/191/2)

आशय यह है कि आप सब इस सदन में मिल कर बैठें, हितकारी चिन्तन से निकली हुई वाणी को एक-दूसरे तक पहुँचायें तथा परस्पर मन्तव्य को समझें। यही रही है हमारी सुदीर्घ परम्परा। इसी प्रकार के विचार-विमर्श द्वारा हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों ने अपनी साधना यहां समर्पित की थी।

3. राजस्थान की जनता ने हाल ही में सम्पन्न विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर शासन की बागडोर सौंपी है। नई सरकार ने राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन देने का वादा किया है। नई सरकार प्रदेश में शांति-समृद्धि एवं साम्प्रदायिक सद् भाव की बहाली के लिये कटिबद्ध है। सरकार विभिन्न सामाजिक घटकों के बीच आपसी भाई-चारे का सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करेगी।

4. आप सब जानते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान ही आधुनिक राजस्थान के निर्माण की नींव रखी गई और सतत विकास के लिए मूलभूत

ढांचा विकसित किया गया। प्रदेश में सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण हो या बिजली के लिए विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य हो, औद्योगिकीकरण और सामुदायिक सुविधाओं के विकास और विस्तार के कार्य हों, यह सब कांग्रेस शासन की दूरदर्शी नीतियों के कारण सम्भव हो सका। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से विकास की यह अवधारणा मूर्तरूप लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती रही। इसी से हमारे शहरों, कस्बों और गाँवों का समान रूप से विकास हो सका, आम आदमी में विकास के प्रति विश्वास का भाव जागृत हो सका तथा पिछड़े और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के कवच में लाया जा सका।

5. नई सरकार ने पाँच बिन्दुओं की अनूठी अवधारणा यथा- ''सामाजिक-धार्मिक समरसता'', ''विकास के समान अवसर'', ''किसान मजदूर कर्मचारी हितैषी'', ''सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही का मूर्तरूप'' तथा ''आधुनिक विकास'' के साथ नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है।

6. नई सरकार ने विधान सभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए चुनावी घोषणा-पत्र की कार्यकारी पाँच वर्षीय योजनाओं को सरकारी दस्तावेज बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों एवं कामगारों के सम्पूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे लाने हेतु विशेष कदम उठाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए अधिक विद्युत उत्पादन, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाएगी। युवाओं के लिए सरकार ऐसी औद्योगिक नीति बनाएगी तथा ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेगी जो रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुये आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देगी। शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार इस बात के लिए भी वचनबद्ध है कि हर कीमत पर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण एवं संवर्द्धन हो तथा राजस्थान एक विकसित एवं समृद्ध प्रदेश बने।

7. राज्य सरकार नई आबकारी नीति बनाएगी। अवैध शराब के कारोबार की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग की तीन

माह की समन्वित कार्य योजना बनाकर लागू की गई है। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का समय बदल दिया है। पहले जहां ये दुकानें प्रात: 9 से रात्रि 11 बजे तक खुली रहती थी, अब प्रात: 10 से सायं 8 बजे तक ही खुली रह सकेगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और वर्जित स्थानों के आस-पास शराब की दुकान खोलने की मनाही है, जिसका सख्ती से पालन कराया जायेगा।

8. वर्तमान में समूचा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस समस्या से हमारा राष्ट्र भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे देश की सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था एवं वित्तीय संस्थानों के कुशल प्रबन्धन के कारण अन्य विकसित देशों की तुलना में वित्तीय संकट की समस्या हमारे देश में तुलनात्मक रूप से काफी कम रहने की संभावना है। आर्थिक विकास की दर में पिछले महीनों में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक ने जो प्रभावी कदम उठाये हैं, उनके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्र यथा उत्पादन एवं निर्माण, संपदाओं के क्रय-विक्रय, भवन निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में पुन: स्थिरता लाने के प्रति हम आशान्वित है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये विभिन्न निर्णयों के परिणामस्वरूप महंगाई दर में उल्लेखनीय कमी आयी है और ब्याज दरें भी उत्तरोत्तर घट रही हैं। विभिन्न प्रयोजनों हेतु साख की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

9. एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते यह दायित्व बनता है कि हम पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सदन और जनता के सम्मुख रखें। हालांकि विश्वव्यापी मन्दी से हम अछूते नहीं रह सकते, परन्तु इसके बावजूद सरकार पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। इस हेतु हम न केवल फिजूलखर्ची पर रोक लगायेंगे बल्कि व्यय की प्राथमिकताओं का फिर से निर्धारण भी करेंगे। इसके साथ ही अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करेंगे। राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी की दृष्टि से हम अपने सामाजिक ताने-बाने का ध्यान रखेंगे एवं ऐसी नीति नहीं बनायेंगे जिसके कारण समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो।

10. राज्य के सामने भारी कर्जे की समस्या है। पिछली सरकार का वित्तीय प्रबन्ध एवं प्राथमिकताएं सही नहीं होने के कारण राज्य पर कर्ज का भार तरेपन हजार तीन सौ इकसठ करोड़ रुपये से बढ़ कर चालू वर्ष के अन्त में बयासी हजार आठ सौ अठावन करोड़ रुपये होना अनुमानित है। पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य पर कर्ज का भार तो बढ़ा दिया किन्तु अन्य क्षेत्रों में फिजूलखर्ची के कारण सामाजिक क्षेत्र का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा।

11. राज्य की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है उसका सम्मान करते हुए सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी जिसमें सभी नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक के हितों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जाएंगे। हम दिखावे की बजाय वास्तविक एवं प्रभावी समाधानों पर बल देंगे ताकि सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध हो सकें।

12. राज्य सरकार राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं गतिशील प्रशासन देने के लिये प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार द्वारा पाँच वर्ष में द्वैषतापूर्वक आम नागरिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चलाये गये झूठे मुकदमों की राज्य सरकार समीक्षा करेगी। जन समस्याओं के निराकरण एवं सुशासन हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए उनके निस्तारण को गति दी जायेगी।

13. प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रदेश के विकास के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं, नागरिक समितियों आदि को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

14. राज्य में आम नागरिकों को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से तथा सुदृढ कानून व्यवस्था कायम करने के लिये खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने के साथ पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

15. कृषि विकास के लिए राज्य सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में बढोतरी के लिए कृषि के आधारभूत ढाँचे को व्यवहारिक बनाकर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। विभिन्न कृषि योजनाओं को समन्वित कर इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने एवं कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य के सभी जिलों की जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने तथा उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके अनाज के भण्डारण व हाट बाजारों की समुचित व्यवस्था की जायेगी। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जायेगी। किसानों को प्रमाणिक खाद, बीज एवं कीटनाशक उचित मूल्य और समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पश्चिमी राजस्थान में पैदा होने वाले उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने तथा उत्पाद का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु मार्केटिंग की

प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए किसानों को समर्थ बनाने एवं उचित मुआवजा देने की नीति बनाई जायेगी।

17. राज्य के सिंचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी। पुराने कुओं, पारम्परिक जल-स्रोत तथा नहरों का जीर्णोद्धार कर उनकी जल भंडारण तथा संभरण क्षमता में वृद्धि हेतु कदम उठाये जायेंगे। राज्य की नदियों, झीलों एवं तालाबों इत्यादि के संरक्षण के लिये विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी। राज्य में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

18. अन्तर्राज्यीय समझौतों के अन्तर्गत राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलना सुनिश्चित करने की रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जायेगा। देश की अन्य नदी योजनाओं में राज्य के हिस्से के पानी का प्रदेश में सही उपयोग करने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया जायेगा।

19. सतही पानी पर आधारित पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। खारे पानी एवं फ्लोराइड की समस्या से मुक्ति के लिए उपयुक्त योजनाओं का निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। अधिकाधिक ढाणियों, गाँवों एवं कस्बों को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से जोड़ने के साथ राजीव गांधी जल मिशन के माध्यम से दूर-दराज के इलाकों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश में जल संरक्षण हेतु नदियों, तालाबों, जोहड़ों एवं एनीकटों के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

20. राज्य के दूरस्थ गाँव एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परम्परागत जल स्त्रोत यथा कुओं, बावडियों, टांकों, तालाबों आदि के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 2000 में प्रारंभ कर वर्ष 2003 तक किया गया था। अब सरकार पारम्परिक जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार के कार्य को फिर से प्रारम्भ कर जल क्षमता में वृद्धि करेगी। पानी बचाने एवं पानी के संरक्षण हेतु सरकार जनता को जाग्रत करने के काम को प्राथमिकता से करेगी।

21. केन्द्र सरकार से भारत निर्माण योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सहयोग से राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर गाँवों एवं ढाणियों को लाभान्वित किया जायेगा।

22. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये विद्युत की समुचित आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना तय किया है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 6540 मेगावाट है, इस स्थापित क्षमता को बढ़ाकर आगामी पाँच वर्ष में 10,000 मेगावाट तक पहुँचा कर प्रदेश

को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु ऊर्जा-अधिशेष राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जायेगा।

23. पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे बिजली आपूर्ति करने का वादा किया था परन्तु किसानों को फसल के समय में भी बिजली आपूर्ति का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया। आज भी लगभग एक लाख पैंतीस हजार किसान विद्युत कनेक्शन के इन्तजार में हैं। शहरों में भी बिजली की कटौती की स्थिति बनी रही।

24. राज्य सरकार कृषि कार्यों हेतु किसानों को समुचित बिजली रियायती दर पर नियमित रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। सरकार वर्ष 2009 के अंत तक कृषकों को मांग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रतीक्षा सूची को शून्य पर लाने का प्रयास करेगी। राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की दिशा में भी प्रयत्न किये जाएंगे।

25. आगामी पाँच वर्षों में सभी गाँव-ढाणियों को तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में प्राथमिकता से बिजली सुलभ करवाई जायेगी। राज्य को उपलब्ध केन्द्रीय विद्युत आवंटन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएंगे।

26. ऊर्जा क्षेत्र सुधार के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल कर विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। संचरण एवं वितरण (टी. एण्ड डी.) क्षति को कम किया जायेगा। ऊर्जा सुधार कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराना होगा। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जायेगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायो-मास आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

27. सड़कें विकास का साधन और संकेतक दोनों ही हैं। राज्य में आधारभूत ढाँचागत विकास के मजबूत स्तम्भ के रूप में सड़क क्षेत्र को विकसित किये जाने के लिए सरकार द्वारा 250 से अधिक आबादी के गाँवों में सड़क सुविधा पहुँचाने, सभी राज मार्गों व जिला सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण करने, मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व समस्त धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक सड़क सुविधा का विस्तार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

28. राज्य में समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं जिला सड़कों पर स्थित रेलवे फाटकों पर अगले पाँच वर्ष में बी.ओ.टी. सिस्टम के माध्यम से फ्लाईओवर, रोड ओवर ब्रिज एवं अन्डर पास निर्मित किये जाने के ठोस प्रयास किये जाएंगे।

29. राज्य में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने एवं निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु एकल खिड़की योजना को तार्किक एवं सरल बनाते हुए सुदृढ़ीकरण हेतु कानूनी प्रावधान किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए उपयोगी आधारभूत ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा उद्यमियों से सलाह मशविरा करके नई उद्योग एवं निवेश नीति बनाई जाएगी। बंद पड़ी एवं रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुन: प्रारम्भ करवाने के लिए व्यवहारिक कार्य योजना बनाई जायेगी। निर्यात संवर्धन के नये उद्योगों को जमीन की उपलब्धता तथा कर मुक्ति की सुविधा का प्रावधान किया जायेगा।

30. राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्रदेश में दस्तकारों, हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु सरकार की ओर से सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण हाटों का विकास किया जायेगा। ग्रामीण एवं कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

31. राज्य सरकार द्वारा व्यवहारिक तरीकों से रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा। नई बसने वाली कालोनियों में छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए जगह चिन्हित की जाएगी।

32. प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा। गैर कृषि क्षेत्र में दक्षता विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी। कुशल श्रमिकों एवं शिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को उचित ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया जायेगा। राजकीय रोजगार कार्यालयों का निजी क्षेत्र के साथ समन्वय कायम किया जायेगा।

33. प्रदेश की जनता को भू-माफियाओं के आतंक और शोषण से मुक्त कराने के लिये प्रभावी प्रशासनिक कदम उठाये जाएंगे। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी की समीक्षा कर उसके दुरुपयोग को रोकने के उपाए किए जाएंगे। निम्न एवं मध्यम वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आवास निर्माण की संख्या में वृद्धि की जायेगी। नगरों में बढ़ती आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी। नगरीय विकास कर को तर्कसंगत बनाया जायेगा।

34. कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन एवं कच्ची बस्तियों के विकास एवं नियमन के कार्य को तत्परता से परीक्षण कराते हुए समुचित कार्य किये जाएंगे। कृषि भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर किसानों के लिए लाभकारी कार्य योजना बनाई जायेगी।

35. जिन स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान तैयार होने शेष हैं उन्हें निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जायेगा एवं तदनुरुप क्षेत्र की विकास योजना अमल में लायी जायेगी।

36. शिक्षित व्यक्ति समाज के समग्र विकास का आधार-स्तम्भ है। सम्पूर्ण राजस्थान को साक्षर बनाने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। हमारी सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस बढ़ाये जाने के ज्वलंत मुद्दे पर तत्काल समुचित कारवाई की गई है। इससे राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ होगी। सरकार इस मुद्दे पर गहनता से परीक्षण करा रही है और तद् नुसार आगे समुचित निर्णय लिये जाएंगे। बालिकाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण हेतु विशेष प्रावधान किये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक वियालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप वाणिज्य, कृषि एवं विज्ञान संकाय तथा अन्य रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किया जायेगा।

37. अल्पसंख्यकों से संबंधित सच्चर कमेटी की सिफारिशों का राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जायेगा। राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा।

38. विश्व में अर्थव्यवस्था ज्ञान के आधार पर गतिमान होती है। ज्ञान का उत्पादन व उपयोग धन-सम्पदा के अर्जन का मूल आधार है। ज्ञानी समाज ही शक्ति-सम्पन्न हैं क्योंकि उनके नागरिक ज्ञान को कार्य से जोड़कर ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित करते हैं जिनका विशाल बाजार है। ज्ञान को कार्य व नीति से जोड़ने का मंत्र उन्हें साधन-सम्पन्न बनाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु वियालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों एवं शोध संस्थानों की स्थापना में निजी क्षेत्रों की भूमिका का विस्तार एवं तदनुरूप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जायेगा। युवाओं के रोजगार हेतु शिक्षण संस्थानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से युवा विकास केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा। महिलाओं की दक्षता विकसित करने की दृष्टि से विशेष प्रयत्न किये जाएंगे।

39. प्रदेश में सरकार अथवा निजी क्षेत्र के सहयोग से अधिकाधिक ''इन्स्टीटयूशन्स ऑफ एक्सीलेंस'' यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आई.आई.एम.) तथा विभिन्न विषयों पर शोध संस्थान खोलने के सार्थक प्रयासों की शुरूआत की जायेगी।

40. प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा की दिशा में प्रगति लाते हुए पंजीकृत मदरसों एवं वियालयों में कम्प्यूटर की उपलब्धता बढ़ायी जायेगी।

41. ''स्वास्थ्य सबके लिए'' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। जिलों व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जायेगा। बी.पी.एल. परिवार एवं वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं नि:शक्तजनों को भी नि:शुल्क जॉच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। बच्चों के टीकाकरण का प्रभावी एवं व्यापक क्रियान्वयन किया जायेगा। टीकाकरण से वंचित वर्गों हेतु मोबाइल टीम गठित कर टीकाकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के ठोस प्रयास किये जाएंगे।

42. राज्य में प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जायेगा।

43. प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में रोगी शैय्याओं में वृद्धि के साथ सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता के अन्तर्गत प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रयास किये जाएंगे। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में पैरा मेडिकल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जायेगी। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति का संरक्षण एवं विस्तार कर इन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा।

44. महिलाओं के समग्र विकास हेतु सरकार कृत संकल्प है। राजकीय कार्यक्रमों की पहुँच महिलाओं तक सुनिश्चित की जाकर उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। रक्षा-बन्धन दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जायेगी। बाल विकास परियोजनाओं में वृद्धि की जाकर आंगनबाड़ी कार्यक्रम को बाल विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में संचालित किया जायेगा। महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जायेगी। विधवा एवं परित्यक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ठोस योजना बनाई जायेगी।

45. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का सतत विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इन वर्गों के युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु नई योजना बनाई जायेगी। अनुसूचित जनजाति और अन्य पम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने की प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। इन वर्गों के

लिए आरक्षित पदों को एक निश्चित समय सीमा में भरने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जायेगा। इन वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु समुचित कदम उठाये जायेंगे। जनजाति उप योजना क्षेत्र में आवश्यक धन-राशि का प्रावधान किया जायेगा।

46. आजादी के लिए संघर्ष करने वाले राज्य के स्वतंत्रता सैनानियों की वर्तमान पेंशन और सुविधाओं में वृद्धि की जायेगी। साम्प्रदायिक दंगों एवं दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं उनके पुनर्वास के लिए सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की जायेगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जायेगी।

47. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमि विहीन व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का आवंटन किया जायेगा। नि:शक्तजन विवाह हेतु वार्षिक आय सीमा तथा अनुदान में बढ़ोत्तरी की जायेगी। नि:शक्तजन को स्वरोजगार हेतु सहायता योजना के लिए वार्षिक आय सीमा तथा स्वरोजगार हेतु सहायता राशि में वृद्धि की जायेगी।

48. अल्पसंख्यकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु केन्द्र सरकार की तर्ज पर एक अलग अल्पसंख्यक मामलात विभाग की स्थापना की जा रही है। इसके कार्यक्षेत्र में अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी बोर्ड, निगम, अकादमी इत्यादि होंगे। इस प्रकार, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

49. जयपुर में हज हाउस का निर्माण करवाया जायेगा। वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान का प्रावधान किया जायेगा। जो वक्फ सम्पत्तियां सरकार के पास हैं, उनके किराये का सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पुनर्निर्धारण कराया जायेगा। प्रदेश में उर्दू-भाषाई अल्पसंख्यकों के चहुँमुखी विकास के लिए उर्दू अकादमी को सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जायेगा।

50. प्राथमिक पाठशालाओं को मिलने वाली सभी सुविधाओं का मदरसों तक विस्तार किया जायेगा। अल्पसंख्यकों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की तालीम के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा।

51. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई अवधारणा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर "ग्राम राज" के संकल्प को साकार

किया जायेगा। मिड-डे-मील योजना का क्षेत्र विस्तार कर इस का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।

52. राज्य सरकार पशुपालन को समृद्ध करने की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, भेड़-बकरी पालन एवं मुर्गीपालन को बढ़ावा देगी। पशुधन बीमा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय नस्ल के पशुधन के संरक्षण हेतु नस्ल सुधार के विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की जायेगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से पशु चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

53. डेयरी उद्योग का विकास किया जायेगा और डेयरी इंजीनिरिंग को बढ़ावा दिया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

54. राज्य सरकार सहकारी समितियों के चुनाव करवाकर इनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पुनर्गठन करेगी। राज्य में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने हेतु सहकारी कानूनों में यदि आवश्यक हुआ तो फेरबदल करते हुये पारदर्शिता व जवाबदेही विकसित की जायेगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन व सशक्तीकरण किया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये जाएंगे।

55. राज्य में वनों का संरक्षण व संवर्द्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित स्थानीय जन-समुदाय की आजीविका का सुदृढ़ीकरण सरकार की एक प्राथमिकता है। प्रदेश के वनों एवं जैव-विविधता के संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुन:स्थापन हेतु प्रमाण-आधारित उत्तरदायी कार्यक्रम क्रियान्वयन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जायेगी। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र के सहयोग की रणनीति बनाई जायेगी। वर्षों से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के भू-स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास किए जाएंगे। वन उपज के विपणन में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

56. संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों का सशक्तीकरण कर इन समितियों को वन प्रबन्धन का जिम्मा सौंपा जायेगा। इन समितियों के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। वानिकी कार्यों के विकास एवं प्रबन्धन में पंचायत की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा।

57. अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव,

कुम्भलगढ़, तालछापर, खींचन जैसे अभ्यारण्यों व संरक्षित क्षेत्रों का सशक्तिकरण किया जायेगा। इससे पर्यटन व व्यापार को मिलने वाले लाभ का सुदृढ़ीकरण होगा। हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव गांधी नेशनल पार्क के विकास की समयबद्ध कार्य योजना का निरूपण किया जायेगा। पर्यटन और वाइल्ड-लाइफ प्रबन्धन में स्थानीय लोगों व पंचायतों की सहयोगी भूमिका को बढ़ावा दिया जायेगा।

58. ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार किया जायेगा। चारे की कमी को दूर करने के लिए मरूस्थलीय जिलों में चारागाह विकास हेतु व्यापक परियोजनाओं को मूर्तरूप दिया जायेगा। सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल तथा औषधि की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। वन संसाधनों के विकास तथा उनके संवर्धन के लिए ग्राम स्तर पर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

59. प्रदेश में आम उपभोक्ता की वस्तुओं एवं प्रतिदिन की खाद्य सामग्री की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर सख्ती से नियंत्रण किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कर अधिकाधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी ताकि जनता को खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुयें वाजिब कीमत पर उपलब्ध हो सकें। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मादपण्डों का सख्ती से पालन करवाया जायेगा। इसके लिये समुचित निगरानी और दण्ड विधान की व्यवस्था अमल में लाई जायेगी।

60. उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में सुधार तथा उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। उपभोक्ता मंचों, परिषदों एवं संगठनों को मजबूत और सक्षम बनाने के साथ नियमों को उपभोक्ता-हितैषी एवं सरल बनाया जायेगा। प्रदेश के सभी कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की प्रभावी क्रियान्विति की जायेगी।

61. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में हुई क्रान्ति का राज्य के विकास एवं सुशासन में समुचित उपयोग किया जायेगा। राज्य में मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी इस्तेमाल किया जायेगा। एक ही छत के नीचे आम व्यक्ति को सरकारी व निजी सूचनाएं तथा अन्य सेवाएं प्रदत्त करने हेतु अधिकाधिक ई-मित्र की स्थापना निजी सहभागिता से की जायेगी। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की स्थापना को

प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जायेगा।

62. राज्य में खनिज विकास को गति देने हेतु नई खनिज नीति बनाई जायेगी। आगामी वर्षों में लिग्नाइट, लाइमस्टोन व बेस-मेटल के नये भण्डारों की खोज को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त धात्विक खनिजों जैसे सोना, चांदी, तांबा व जस्ता आदि के उपलब्ध भण्डारों के दोहन में निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जायेगा।

63. राज्य में उपलब्ध तेल, गैस व कोल बेड मीथेन हेतु अन्वेषण व विकास कार्य पर विशेष जोर दिया जायेगा। बाड़मेर-सांचौर बेसिन में खोजे गये खनिज तेल के भण्डार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्रभावी सहयोग-संवाद के माध्यम से पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

64. प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी। जयपुर सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने तथा पार्किंग क्षेत्र विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग जुटाया जायेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व निजी परिवहन सेवाओं का और अधिक फैलाव कर यथासम्भव प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जायेगा।

65. भारत सरकार की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के निर्माण को अभियान के रूप में लिया जायेगा। जिला स्तर पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना का वृहद् कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का सशक्तिकरण कर जिला स्तर पर जिला खेल परिषदों का पुनर्गठन व सशक्तिकरण भी किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देते हुये प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी यूथ क्लब का गठन किया जायेगा।

66. राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर इससे अधिकाधिक रोजगार सृजन की कार्य योजना बनाई जायेगी। धार्मिक पर्यटन, ईको-पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन का भी विकास किया जायेगा।

67. प्राचीन धरोहरों, ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यटन से जुड़ी बहुमूल्य धरोहरों के संरक्षण व सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना बनाई जायेगी। प्रदेश की विरासत को संरक्षित रखने तथा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

68. राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

69. ट्रेन ट्यूरिज्म में पैलेस आन व्हील्स की तर्ज पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से **Royal Rajasthan on wheels** नाम से दूसरी पर्यटक रेल शुरू की जा रही है।

70. राज्य सरकार का मत है कि कर्मचारी वर्ग प्रशासन की धुरी है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने में इस वर्ग की महती भूमिका है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। राज्य में छठा वेतन आयोग की विसंगितियों के निराकरण हेतु समुचित कदम उठाये जायेंगे। सेवानिवृत कर्मचारियों के लम्बे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। वर्तमान में कर्मचारी वर्ग को प्राप्त हो रही सुविधाओं को यथावत रखा जायेगा एवं विभिन्न प्रकार की विसंगतियों के निराकरण हेतु समुचित कदम उठाये जायेंगे। आवासन मण्डल की योजनाओं में कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि की जायेगी। राज्य के पेंशनभोगी व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु भी सरकार प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेगी।

माननीय सदस्यगण,

71. सरकार की आगामी पाँच वर्षो की प्राथमिकताओं और कार्य योजना से मैंने आपको अवगत कराया। तथापि, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एवं देश के अन्य भागों में उत्पन्न स्थिति का आंकलन भी आवश्यक है। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों हुई आंतकवादी घटनाओं खास तौर पर जयपुर और मुम्बई में दहशतगर्दो द्वारा अंजाम दी गई कायरता पूर्ण कार्रवाई से समूचा राष्ट्र चिन्तित है। इन घटनाओं में भारी मात्रा में जान-माल की क्षति हुई, बेगुनाह लोग मारे गये तथा अनेक सुरक्षाकर्मी हताहत और शहीद हुए। हिंसा और आतंकवाद की हम कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। मैं आतंकवादी कार्रवाईयो मे शहीद हुये हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों और बेगुनाह नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

72. आप सब जानते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा अनुसंधान के बाद आतंकवादियों की पहचान के आधार पर उन्हें हमारे देश को सुपूर्द करने तथा आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार द्वारा पड़ौसी मुल्क से अनुरोध किया गया। किन्तु उसका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, जो चिन्ता का विषय है। केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध उठाये गये आवश्यक कदमों तथा विश्व समुदाय के समक्ष

रखे गये भारतीय के नजरिये के मद्देनजर पड़ौसी मुल्क द्वारा हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। हमें सदैव चौकस और सजग रहना है और हमारी भावनात्मक एकता को मजबूत बनाये रखते हुये देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। तभी हम आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकेंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हमारी सरकार सतर्कता बरत रही है। साथ ही, हमारा समाज सजग रहे तो हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में निश्चित ही सफल होंगे।

73. पिछली सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान पुलिस फायरिंग, बम विस्फोट तथा जातीय हिंसा की घटनाओं के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, जो पूर्ववर्ती सरकार की विफलता को उजागर करती है। सरकार अपराधों व आतंकवादी हिंसा पर रोक लगाने की बजाए अपने लोगों को ही लाठी-गोली का शिकार बनाती रही। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण समाज में आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा हुई तथा रावला-घड़साना और सोहेला आदि कई स्थानों में अनेक लोग पुलिस की गोली का शिकार हो गए। इस प्रकार की घटनायें सरकार की अकर्मण्यता व कुशासन के ज्वलंत उदाहरण हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, टोंक आदि स्थानों में हुए किसान आन्दोलन सरकार की विफलता के साक्षी हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को भी कष्ट उठाने पड़े। सरे बाजार लूट एवं चैन तोड़ने की घटनाएं, कन्या भ्रूण हत्याएं एवं बलात्कार जैसी अशोभनीय घटनाएं रोजाना समाचार पत्रों की सुर्खियों में होती थीं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचारों की घटनाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह एवं जमीन से जुड़े विवादों के नाम पर, इस वर्ग पर अत्याचार होने लगे थे। भू-माफियाओं ने अपना जाल बिछा लिया था जिससे आम नागरिक त्रस्त रहा। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। मांडल, सोजत, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, केशोरायपाटन तथा सीकर सहित कई कस्बे साम्प्रदायिक तनाव से पीड़ित रहे। मिशनरियों द्वारा संचालित संस्थाएं भेदभाव की शिकार बनीं। हज हाउस को लेकर सरकार में लगातार राजनीति होती रही। वित्तीय कुप्रबन्धन से चौदह हजार नतीस रुपये प्रति व्यक्ति एवं राज्य पर लगभग अस्सी हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लाद दिया गया।

74. अव्यवहारिक आबकारी नीति से प्रदेश में अवैध शराब एवं शराब माफिया का जाल फैलता गया। सरकारी संरक्षण में मंदिरों, अस्पतालों एवं स्कूलों जैसे वर्जित स्थानों के आस-पास शराब की दुकानें खोल दी गई तथा बड़ी संख्या में शराब की दुकानें ही मधुशाला में परिवर्तित हो गई। शराब के

अवैध कारोबार के चलते जहरीली शराब के सेवन से सैकड़ों लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। शराब एवं डोडा पोस्त के विक्रय मूल्य पर भी निगरानी की जरूरत है।

75. राज्य में पिछली सरकार पर कुशासन एवं भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। यहाँ तक कि स्वयं सतारूढ़ पार्टी के चुने हुए जन-प्रतिनिधियों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। हमारी सरकार राज्य में स्वच्छ, पारदर्शी एवं लोक-कल्याणकारी सुशासन व्यवस्था कायम करेगी।

माननीय सदस्यगण,

76. राज्य में सुशासन तथा सतत् विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एक ओर जहाँ हम राजस्थान को सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे वहीं दूसरी ओर राज्य में लोक -कल्याणकारी प्रशासन देने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

77. जन-आंकाक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य पर सभी एकमत हैं। इसलिए सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष-प्रतिपक्ष, सभी ओर के सदस्यों का जन-हित में रचनात्मक सहयोग लिया जाए ताकि राजस्थान का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

78. मैं प्राचीन मनीषियों के शब्दों में यह कहते हुये अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहूँगा :-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्।।
(सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुःख के दिन न देखें।)

आप सब का ज्ञान, विवेक और विचार तथा उनका कार्य के साथ योग इस महान राज्य में लोक-कल्याणकारी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हो, यही मेरी कामना है। नव-वर्ष की मंगल कामनाएं।

जय हिन्द ।